UPSI010080602024

न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश, सीतापुर

दीवानी निगरानी सं0– 83/2024
सी0आई0एस0सं0–83/2024

श्रीमती सुल्ताना उर्फ जाहिदा बेगम आदि बनाम सुधीर कुमार जलोटा आदि

दिनांक–27.11.2024

आज यह दीवानी निगरानी मय मुन्सरिम आख्या प्रस्तुत किया गया, अवलोकित। तदनुसार दीवानी निगरानी पर न्याय शुल्क पर्याप्त अदा किया गया है। समयावधि में एवं न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुना गया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए तर्क दिया कि निगरानीकर्ता ने यह निगरानी विद्वान अवर न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा एस0सी0सी0आर0सी0 नं0–05/2015, सुधीर कुमार जलोटा आदि बनाम सईद खॉ आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 22–10–2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने वादीगण का वाद सत्यय आज्ञप्त किया गया है।

मेरे विचार में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–22.10.2024 के विरूद्ध यह दीवानी निगरानी संघारणीय है। अतः दीवानी निगरानी अंगीकृत की जाती है, इसे पंजीकृत किया जाए।

पत्रावली निगरानी की सुनवायी हेतु दिनांक–05.12.2024 को पेश हो। अवर न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाय।

जनपद न्यायाधीश
सीतापुर।
27–11–2024

नीरज

Digitally signed by KULDEEP SAXENA
Date: 2024.11.28 17:03:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
sitapur